कार्यालय कलेक्टर (भू–अभिलेख), जिला–सिवनी (म.प्र.)

क्रमांक/ 1400 /अ.भू.अ./ WebGISCell/2024 सिवनी, दिनांक 18/11/2024

प्रति,

तहसीलदार/नायब तहसीलदार (सर्व)
जिला सिवनी

विषय :- पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित नवीन पटवारियों व्दारा लैपटॉप खरीदे जाने बावत।

संदर्भ :- आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त म.प्र. ग्वालियर का पत्र क्र./2025/भण्डार/2020 ग्वालियर दिनांक 13/11/2020.

------0------

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करें। पटवारियों को भू-अभिलेखों, खसरा, नक्शा, बी-1, RCMS अन्य योजनाएं जैसे जाति प्रमाण पत्र, बीपीएल सर्वे, शासकीय भूमि आबंटन, डायवर्सन आदि का कम्प्यूटराईज्ड डाटाबेस रियल टाईम में अद्यतन करने एवं नागरिकों को उनकी मांग अनुरूप अद्यतन अभिलेखों की प्रति तत्काल प्रदाय किये जाने हेतु उच्च तकनीक के लैपटॉप प्रदान करने के संबंध में शासन व्दारा निर्णय लिया गया है।

मुख्यालय ग्वालियर से दूरभाष पर चर्चा अनुसार पटवारी भर्ती परीक्षा 2022 के माध्यम से चयनित नवीन पटवारियों को लैपटॉप प्रदाय किया जाना है। **लैपटॉप क्रय करने हेतु न्यूनतम स्पेशिफिकेशन पत्र के साथ परिशिष्ट-2 में संलग्न है। लैपटॉप क्रय करने के लिए विभाग द्वारा अधिकतम राशि रू. 50,000/- के मान से प्रत्येक पटवारी को न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स के सत्यापन उपरांत मुख्यालय ग्वालियर द्वारा उपलब्ध करायी जायेगी। लैपटॉप का बीमा Comprehensive Policy या All Risk Policy Type का होना आवश्यक है। लैपटॉप राजस्व विभाग की संपत्ति होगी अतः लैपटॉप खरीदी का बिल ''आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. के नाम पर लिया जाना अनिवार्य होगा।**

आयुक्त महोदय भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर के संदर्भित पत्र में दिये गये निर्देशानुसार पटवारियों को प्रदाय किये गये लैपटॉप राजस्व विभाग की संपत्ति है। प्रत्येक लैपटॉप की आयु 7 वर्ष निर्धारित की गयी है। अत: 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर क्रय किये गए लैपटॉप की नियमानुसार राइट ऑफ करने की कार्यवाही की जायेगी। 7 वर्ष के पूर्व पटवारी के सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, असमय मृत्यु अथवा किसी कारण से सेवा से पृथक होने की स्थिति में लैपटॉप को उनके स्वयं अथवा उनके परिवार के व्दारा विभाग को वापस कर दिया जायेगा।

अत: तहसील अंतर्गत पदस्थ नवीन पटवारियों को नियमानुसार निर्धारित मापदण्डानुसार लैपटॉप क्रय कर SAARA App के माध्यम से ऑनलाईन बिल प्रस्तुत कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न :- लैपटॉप क्रय करने हेतु विस्तृत दिशानिर्देश।

18/11/24

कलेक्टर
जिला सिवनी

पृ.क्र./ 1400 A /अ.भू.अ./ WebGISCell/2024 सिवनी, दिनांक 18/11/2024

प्रतिलिपि :-

01. आयुक्त भू-अभिलेख म.प्र. ग्वालियर की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
02. उपायुक्त भू-अभिलेख संभाग जबलपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
03. अनुविभागीय अधिकारी (रा.) सिवनी/कुरई/बरघाट/केवलारी/लखनादौन/घंसौर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

कलेक्टर
जिला सिवनी

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश

क्रमांक 2025 भण्डार //2020 ग्वालियर, दिनांक- 13/11/2020

प्रति,

कलेक्टर

समस्त

मध्यप्रदेश

विषय: जिलों में पटवारियों द्वारा लैपटॉप ख़रीदे जाने हेतु निर्देश जारी करना |

सन्दर्भ: राजस्व विभाग का आदेश क्रमांक एफ 03-19/2017 /सात - 6 दिनांक 29-09-2020 तथा पत्र क्रमांक एफ 30-19/2017 / सात -6 दिनांक 12.11.2020

विषयान्तर्गत लेख है की प्रदेश में पटवारियों को भू -अभिलेखों, खसरा, नक्शा, बी-1, RCMS एवं अन्य योजनाएं जैसे जाति प्रमाण पत्र, बी पी एल सर्वे, शासकीय भूमि आवंटन, डायवर्जन आदि का कंप्यूटराइज्ड डेटाबेस रियल टाइम में अद्यतन करने एवं नागरिकों को उनकी मांग अनुरूप अद्यतन अभिलेखों की प्रति तत्काल प्रदाय किये जाने हेतु उच्च तकनीक के लैपटॉप प्रदान करने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्णय लिया गया है |

इस योजना के तहत आगामी 03 वर्ष में लैपटॉप वितरण का कार्य पूर्ण किया जाना है | प्रथम वर्ष में प्रत्येक जिले में पदस्थ कुल पटवारियों की संख्या के मात्र 1/3 पदस्थ पटवारियों को ही लैपटॉप वितरण किये जाएंगे| लैपटॉप का वितरण इसी प्रकार आगामी 02 वर्षों में भी किया जाना है | वर्तमान में जिलों में कुल पदस्थ पटवारियों की संख्या की विभाग के पास उपलब्ध जानकारी एवं तीन वर्षों में कुल पटवारियों के मान से वितरण की संख्या परिशिष्ट-1 में दर्शाई गई है,| परिशिष्ट-1 में उल्लेखित संख्या अनुसार लैपटॉप वितरण हेतु पटवारियों का चयन जिला कलेक्टर द्वारा किया जायेगा | इस योजना को प्रभावी रूप से लागू किये जाने हेतु विभाग द्वारा लैपटॉप के न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स तय किये गए है जिससे क्रय किये जाने वाले लैपटॉप से समुचित ढंग से विभागीय क्रियाकलाप संपन्न किये जा सकें | विभाग द्वारा तय किये गए न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स परिशिष्ट-2 में संलग्न हैं |

लैपटॉप क्रय पश्चात विभाग से राशी की अदायगी हेतु पटवारियों को

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना होगा जिससे उनके द्वारा क्रय लैपटॉप का तकनीकी रूप से सत्यापन किया जा सके तथा उनके बैंक खाते में राशि स्थानांतरित की जा सके| इसके सम्बन्ध में विस्तृत यूजर मैन्युअल पृथक से साझा किया जायेगा| ऑनलाइन भरे जाने वाले फॉर्म का प्रारूप परिशिष्ट - 3 में संग्लन है | लैपटॉप का क्रय एवं उपयोग किये जाने सम्बन्धी अन्य निर्देश निम्नवत हैं -

1. पटवारियों द्वारा लैपटॉप का क्रय विभाग द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स (Specifications) अनुसार ही किया जाए|
2. विभाग द्वारा लैपटॉप क्रय करने के लिए अधिकतम राशि रू. 50,000 के मान से राशि प्रत्येक पटवारी को क्रय करने के बाद न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स के सत्यापन उपरान्त उपलब्ध करायी जायेगी |
3. लैपटॉप के बीमा पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा किया जाएगा, प्रथम वर्ष के बीमा की राशि कंडिका- २ में उल्लेखित अधिकतम राशि में सम्मिलित है | आगामी वर्षों के बीमा नवीनीकरण पटवारी द्वारा स्वयं करवाया जायेगा तथा विभाग द्वारा बीमा की राशि प्रत्येक पटवारी को पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी|
4. लैपटॉप राजस्व विभाग की संपत्ति होगी अतः लैपटॉप खरीदी का बिल "आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, मध्यप्रदेश" के नाम पर लिया जाना अनिवार्य होगा |
5. प्रत्येक लैपटॉप की आयु 7 वर्ष निर्धारित की गयी है, अतः 7 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर क्रय किये गए लैपटॉप की नियमानुसार राइट ऑफ करने की कार्यवाही की जायेगी| 7 वर्ष के पूर्व पटवारी के सेवानिवृत्त, त्यागपत्र, असमय मृत्यु अथवा किसी कारण से सेवा से पृथक होने की स्थिति में लैपटॉप को उनके स्वयं अथवा उनके परिवार के द्वारा विभाग को वापस कर दिया जायेगा|
6. लैपटॉप क्रय पश्चात SAARA पोर्टल पर विकसित सॉफ्टवेयर पर पटवारी द्वारा पंजीयन किया जायेगा लैपटॉप के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के दोरान सॉफ्टवेयर द्वारा तकनीकी जानकारी स्वतः ही दर्ज कर ली जाएगी जिसके आधार पर ऑनलाइन स्टॉक रजिस्टर तैयार किया जाएगा एवं जिसमें invoice तथा अन्य आवश्यक जानकारी की एंट्री होगी| लैपटॉप के वापस करने एवं अन्य पटवारी को जारी किये जाने सम्बन्धी जानकारी भी इस स्टॉक रजिस्टर में अंकित होगी |
7. न्यूनतम स्पेसिफिकेशन्स का ऑनलाइन सत्यापन एवं क्रय इनवॉइस तथा बीमा पालिसी की जानकारी के प्रमाणन पश्चात पटवारियों को ऑनलाइन भुगतान किया जायेगा |

उक्त दिशानिर्देशों का पालन करते हुए पटवारियों को लैपटॉप क्रय के विरुद्ध

भुगतान करने तथा लैपटॉप के सम्बन्ध में ऑनलाइन रिकॉर्ड संधारण करवाने हेतु आगामी कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें |

Signature Not Verified
Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil
Date: 2020.11.13 16:55:35 IST

आयुक्त
कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक- /भू.प्र.-11/ 2020 ग्वालियर, दिनांक- /09/2020

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
2. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन भोपाल
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश

Minimum specifications for Laptop purchase in Madhya Pradesh

Processor	
Processor Make	Intel or AMD or equivalent
Processor Generation	Intel i5 /AMD Ryzen 5 (or higher)
Number of Cores per Processor	4
Processor Base Frequency (GHz)	1.8 or higher
Operating System	
Operating System (Factory Pre-Loaded)	Windows 10
Memory	
Type of RAM	DDR3 (or higher) or equivalent
RAM Size (GB)	8
Storage	
SSD	256 GB or Higher
Connectivity	
Wireless Connectivity	Wi-Fi 802.11ac
Ethernet Ports	1
Ports	
USB 2.0 or higher	2
Number of HDMI/VGA Ports	1
Display	
Display Size (Inch)	13 or higher
Display Resolution (Pixels)	1280*720 or higher
Miscellaneous	
Internal Speaker	Yes
Audio-in	Yes
Audio-out	Yes
Headphone out	Yes
Microphone-in	Yes
Type of Keyboard	Standard
Hardware Trusted Platform Enabled	Yes
Carry Case	Yes
Weight (Including Battery) (Kilogram)	less than 2
Power	
Battery Backup Time (Hours)	4
Certification	
BIS Registration under CRS of Meity	Yes
ROHS Compliance	Yes
Operating Conditions	
Minimum Operating Temperature	0 degree Celsius
Maximum Operating Temperature	35 degree Celsius
Minimum Operating Humidity (%RH)	10
Maximum Operating Humidity (%RH)	90
Warranty	
Battery Warranty	1
On Site OEM Warranty (Year)	3

परिशिष्ट- 3: पटवारियों द्वारा भरा जाने वाले ऑनलाइन फॉर्म का प्रारूप

Name		Laptop Invoice No.	
Designation		Laptop Invoice Amount	
Mobile no.		Insurance Invoice No.	
WebGIS ID		Insurance Amount	
Device Type		Insurance Validity from	to

घोषणा पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मैं .... व्यक्तिगत तौर पर इस बात से संतुष्ट हूँ कि मैंने जिस लैपटॉप का क्रय किया है वह विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों (Specifications) और गुणवत्ता के अनुरूप हैं। इसकी कीमत बाज़ार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता से यह सामग्री विक्रय की गई है वह प्रश्नगत सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विश्वनीय और सक्षम है।

Technical Specifications

Manuracturer		Hard disk (HDD)		Miscellaneous	
Processor Make		Display Size		Int. Speakers	Y/N
Processor Generation		Display Resolution		Audio IN	Y/N
Processor Core No.		MAC Address		Audio OUT	Y/N
Processor Speed		Operating System		Headphone Out	Y/N
Type of RAM		Laptop Model		Microphone IN	Y/N
Battery Back up (HRS)		RAM Capacity		Keyboard Type	Y/N
USB Ports		Wi-Fi		Carry Case	Y/N
		Ethernet Port		Weight	
BIS Registration under CRS of MEITY		HDMI/ VGA Port		H/W trusted Platform	Y/N

196496/2021/CLR-Comp

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख, मध्य प्रदेश

क्रमांक/भण्डार-7 /2021   ग्वालियर, दिनांक-   02/01/2021

प्रति,
  कलेक्टर
    समस्त
    मध्यप्रदेश

विषय: जिलों में पटवारियों द्वारा लैपटॉप खरीदे जाने हेतु निर्देश जारी करना ।

सन्दर्भ:
1. राजस्व विभाग का आदेश क्र. एफ 03-19/2017 /सात - 6 दिनांक 29-09-2020
2. आयुक्त, कार्यालय, भू-अभिलेख पत्र क्रमांक 2025 दिनांक 13/11/2020

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 2025 का अवलोकन करें जिसके अनुसार प्रदेश में पटवारियों को लैपटॉप प्रदाय करने हेतु ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसका लिंक निम्नांकित है:

(http://saara.mp.gov.in/saaraweb/patwari/SysConfigApp/publish.htm)

यह मॉड्यूल दिनांक 31/12/2020 को release किया गया है जिसका User Manual संलग्न है| पोर्टल पर पटवारियों द्वारा सभी दस्तावेज, पटवारियों द्वारा क्रय किये हुए लैपटॉप के Signed Self Declaration form, क्रय इनवॉइस (Paid by me) की मूल प्रति, मूल इन्शुरन्स पालिसी एवं गारंटी कार्ड को अपलोड किया जाना है जिसके आधार पर उन्हें व्यय प्रतिपूर्ति की जाएगी|

2. पत्र क्रमांक 2025 के बिंदु क्रमांक 6 के सन्दर्भ में निर्देश है कि लेखा तथा वित्त के नियमों के पालन में उक्त पोर्टल में एक फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर तैयार कर सभी महत्वपूर्ण जानकारियां जैसे संपत्ति का नाम, क्रय दिनांक, क्रय मूल्य, मशीन का सीरियल नंबर, इन्शुरन्स पालिसी का क्रमांक, क्रय करने वाले/ उपयोग करने वाले पटवारी का नाम तथा उसकी कर्मचारी आई डी (ट्रेजरी अनुसार) आदि प्रदर्शित होंगी ।

3. पटवारियों द्वारा क्रय किये जाने वाले सभी लैपटॉप की उक्त एंट्री

web GIS Cell
7/1/21

ऑनलाइन पोर्टल पर जिले के स्टॉक रजिस्टर में की जायेगी। पटवारियों की सेवानिवृत्ति, त्यागपत्र, मृत्यु या सेवा से पदच्युत प्रकरणों में भी स्टॉक में एंट्री नियमित रूप से की जाए। (इस हेतु पृथक से लॉगिन facility जिले को उपलब्ध की जायेगी) आवश्यकता होने पर इसी ऑनलाइन पोर्टल से फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर का प्रिंट आउट लेकर ऑडिट कार्य में भी उपयोग किया जा सकेगा। इस रजिस्टर के संधारण एवं अनुरक्षण का कार्य जिले में अधीक्षक, भू-अभिलेख द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

4. इसी प्रकार पटवारियों द्वारा क्रय किये हुए लैपटॉप के विरुद्ध व्यय प्रतिपूर्ति भी ऑनलाइन प्रक्रिया द्वारा किया जाना है। पटवारियों द्वारा क्रय किये हुए लैपटॉप के Signed Self Declaration form, क्रय इनवॉइस (Paid by me) की मूल प्रति, मूल इन्शुरन्स पालिसी एवं गारंटी कार्ड की आदि दस्तावेज ऑनलाइन upload करने के पश्चात् क्रय इनवॉइस (Paid by me) की मूल प्रति, इन्शुरन्स पालिसी (Premium invoice) एवं गारंटी कार्ड की True Copy (Self attested) करके अविलम्ब सम्बंधित जिले के एस एल आर के पास जमा करायेंगे तथा एस एल आर उक्त दस्तावेज को पर्याप्त संख्या में प्राप्त होने पर या माह समाप्त होने पर अविलम्ब कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख पहुँचाना सुनिश्चित करेंगे जिससे लेखा कार्य में व्यवधान न हो। भविष्य में सपोर्ट की आवश्यकता पड़ने की दृष्टि से सभी पटवारी गारंटी कार्ड एवं इन्शुरन्स पालिसी (Premium invoice) मूल प्रति अपने पास ही रखेंगे।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करें |

संलग्न: User

Signature valid

आयुक्त
कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश

पृ.क्रमांक- / भण्डार- 7/ 2021 ग्वालियर,
दिनांक- 02/01/2021

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल
2. सचिव, म.प्र. शासन, राजस्व विभाग, वल्लभ भवन भोपाल
3. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
4. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश

पटवारियों द्वारा क्रय किये लैपटॉप का ऑनलाइन वेरफिकेशन

209438/2021/CLR-CM

❖ **पटवारियों द्वारा क्रय किये लैपटॉप से सम्बंधित ध्यान देने योग्य बातें:**

- लैपटॉप का बिल, आयुक्त, भू- अभिलेख के नाम पर होना आवश्यक है|
- लैपटॉप के प्रथम वर्ष की बीमा पॉलिसी आयुक्त, भू-अभिलेख के नाम पर होना आवश्यक है| लैपटॉप बीमा पॉलिसी के बिना, बिल का भुगतान नहीं किया जाएगा |
- पटवारी यह सुनिश्चित करें कि लैपटॉप निर्धारित स्पेसिफिकेशन्स अनुसार हो|
- लैपटॉप वेरफिकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए नीचे दी गयी लिंक पर क्लिक करें:

  http://saara.mp.gov.in/saaraweb/patwari/SysConfigApp/publish.htm

लैपटॉप का ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: पटवारियों द्वारा लॉगिन की प्रक्रिया

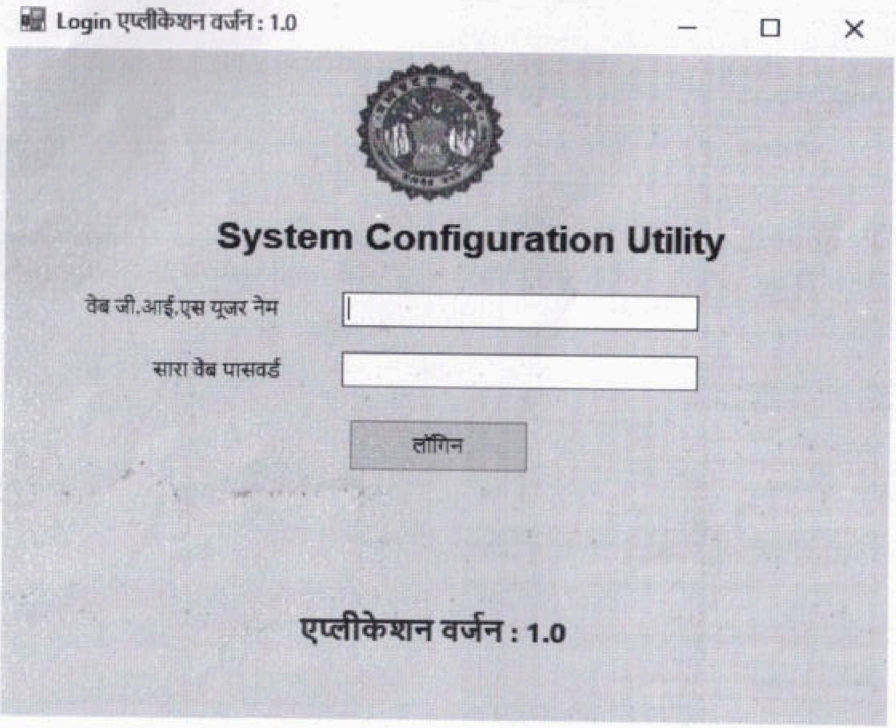

- लिंक http://saara.mp.gov.in/saaraweb/patwari/SysConfigApp/publish.htm
- System Configuration Utility डाउनलोड करें, Install कर Run करें
- ऐसा करने पर बायीं ओर दिखाई गयी विंडो प्रदर्शित होगी|
- प्रदर्शित स्क्रीन / विंडो पर पटवारी अपने WebGIS login ID द्वारा लॉग इन करें|

• लैपटॉप का ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: तकनीकी विनिर्देश (Specification)

Login User:080009598 and Name : Namrata Asati

System Configuration Details

Device Information

Personal Information

Employee Code * (As per treasury)		Account Number * (Salary Bank Account)	
IFSC Code *		Bank Name *	

Automated Entry :

Manufacturer	Dell Inc.	Model	OptiPlex 5060
Processor	Intel(R) Core(TM) i5-8500 CPU @ 3.00GHz	Processor Core	6
WindowEdition	Microsoft Windows 10 Pro	MAC-Address	54:BF:64:70:F5:8D
SSD	ST1000DM010-2EP102 / 1000.20 GB	RAM Size(GB)	3.80
Type of Keyboard	USB Input Device	USB Port	USB Composite Device
Wireless Connectivity	Ethernet 802.3	Type Of RAM	DDR4
Screen Size Inch		Screen Resolution	{Width=1920, Height=1080}
Battery Backup Time (Hours)	4	Weight (Including Battery -Less than 2 k.g.)	2

Self Declaration as per Specifications :(Yes/No)

Miscellaneous

☐ Internal Speaker ☐ Audio In ☐ MicroPhone In ☐ Carry Case ☐ HDMI/VGA Ports

☐ HeadPhone Out ☐ Audio Out ☐ Ethernet Port ☐ Hardware Trusted Platform Enabled

Certification

☐ BIS Registration under CRS of Meity

☐ ROHS Compliance

Operating Condition And Warranty(Yes/No)

Min Operating Temperature(Degree Celsius)	0	Min Operating Humidity(%RH)	10
Max Operating Temperature(Degree Celsius)	35	Max Operating Humidity(%RH)	90
Battery Warranty(In Year)	1	OEM Warranty (In Year)	3

☐ मैं घोषणा करता हूँ कि मैं पटवारी लैपटॉप योजना के अंतर्गत लैपटॉप प्राप्त करने हेतु पात्र हूँ। मेरे द्वारा उक्त योजना के अंतर्गत जो लैपटॉप क्रय किया है वह विभाग द्वारा निर्धारित विनिर्देशनों (Specifications) और गुणवत्ता के अनुरूप है। इसकी कीमत बाज़ार दर के अनुसार है और जिस आपूर्तिकर्ता से यह सामग्री विक्रय की गई है वह प्रमाणित सामग्री की आपूर्ति करने के लिए विश्वसनीय और सक्षम है। मेरे द्वारा उपलब्ध कराई गयी बैंक एवं अन्य सभी जानकारी पूर्ण रूप से सत्य है।

यदि उक्त जानकारी भविष्य में असत्य पायी जाती है तो विभाग द्वारा लैपटॉप क्रय के विरूद्ध किया गया प्रतिपूर्ति को विभाग मुझसे वसूल करने हेतु अधिकृत रहेगा।

Printed document to be signed

[Generate And Print]

- लॉगिन के तुरंत पश्चात बायीं ओर दिखाई गयी विंडो प्रदर्शित होगी | इसके बाद "Generate and Print" पर क्लिक करें |
- इसमें Automated Entry के सभी स्पेसिफिकेशन अपने आप (ऑटोमैटिक) प्रदर्शित हो जायेंगे|
- Self Declaration as per Specifications: यह स्पेसिफिकेशन पटवारियों दवारा स्वयं (Manually) भरे जाएंगे|

209438/2021/CLR/CMO

• लैपटॉप का ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: तकनीकी विनिर्देश (Specification)

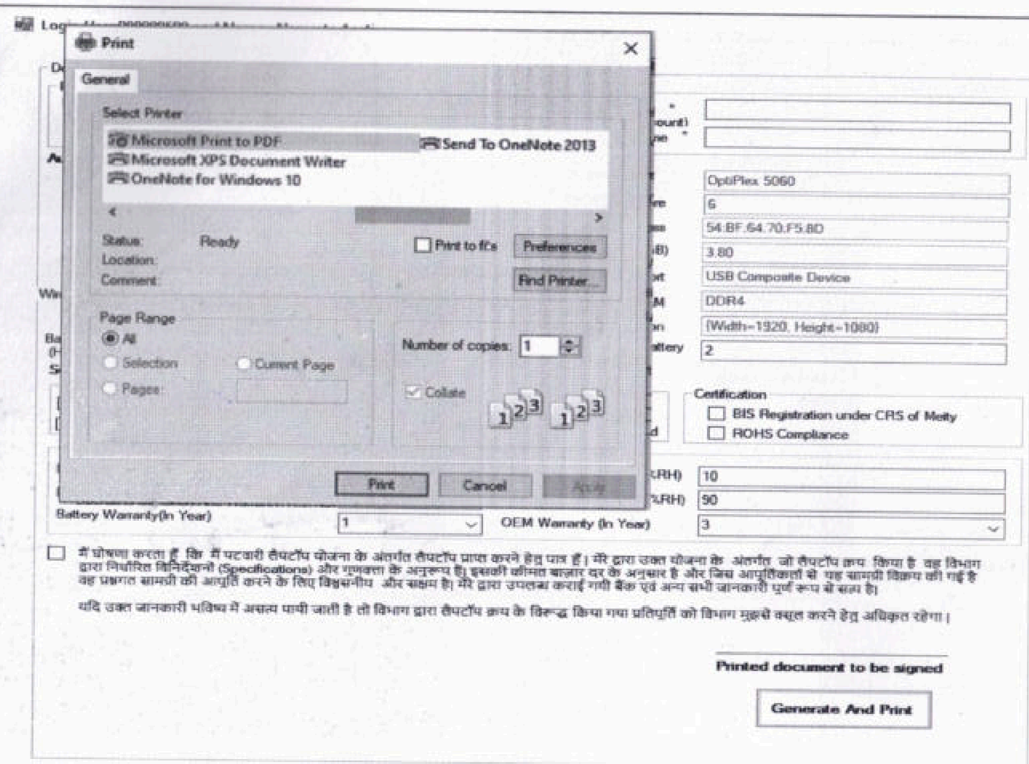

- Generate and Print: यहाँ पर क्लिक करने पर स्व घोषणा पत्र की pdf फाइल निर्मित करें|

209438/2021/CL&E/CMO

• लैपटॉप का ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: तकनीकी विनिर्देश (Specification)

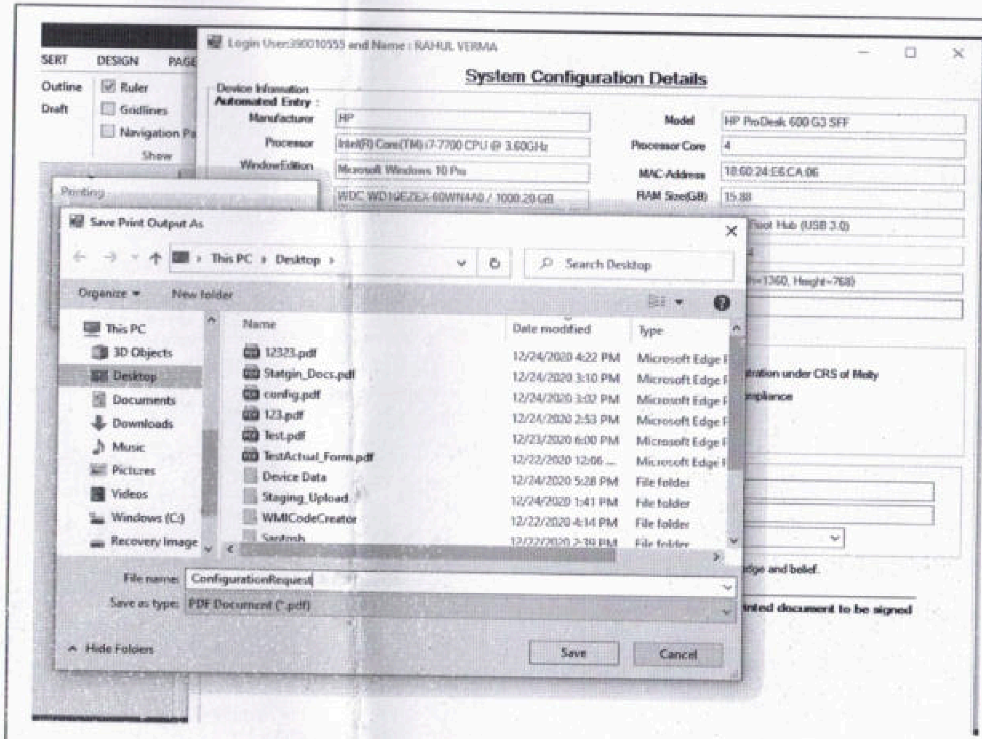

• स्व-घोषणा पत्र की निर्मित pdf फाइल को उपयुक्त स्थान पर लैपटॉप में सेव कर दें।

209438/2021/CL/CMO

• लैपटॉप का ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: तकनीकी विनिर्देश (Specification)

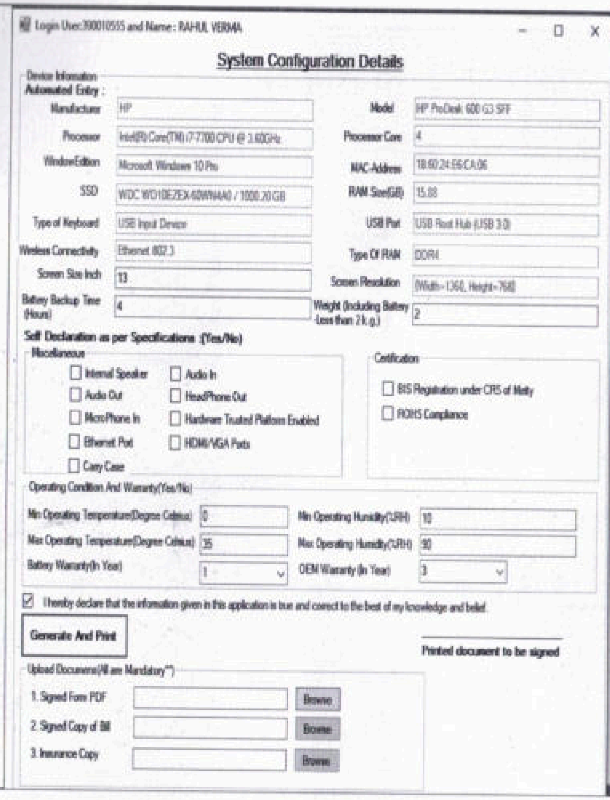

तीनों डॉक्यूमेंट अपलोड करें:

- निर्धारित फॉर्म एवं घोषणा पत्र का प्रिंट ले स्वयं हस्ताक्षर कर, हस्ताक्षरित कॉपी पुनः स्कैन कर अपलोड करें
- लैपटॉप के बिल की प्रति (आयुक्त भू- अभिलेख के नाम पर)
- लैपटॉप की बीमा पॉलिसी राशि का बिल

• लैपटॉप का ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: तकनीकी विनिर्देश (Specification)

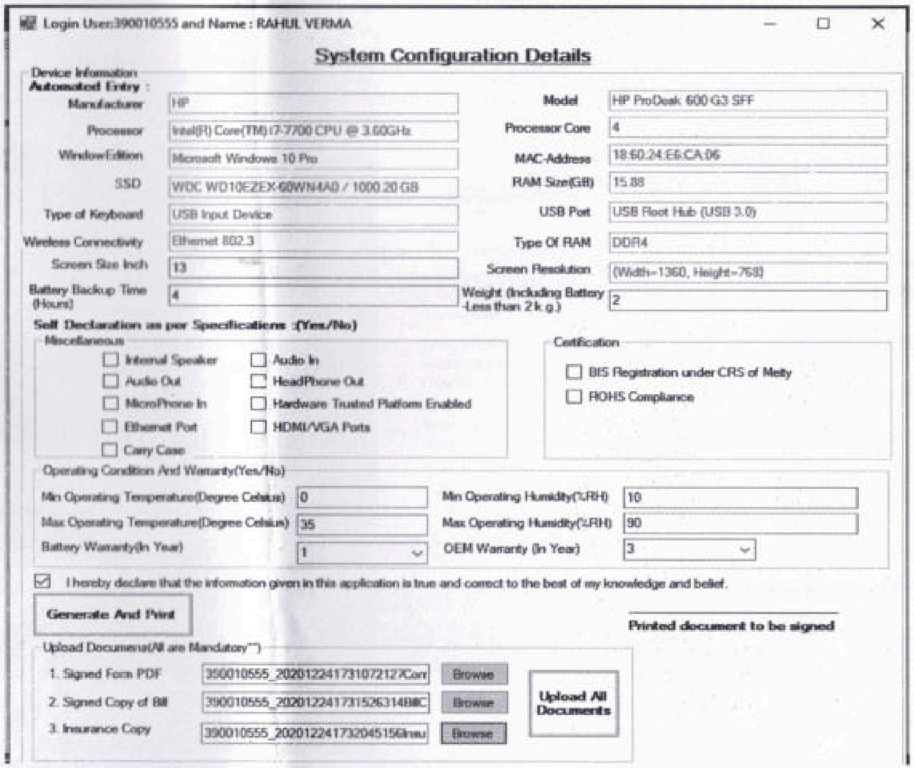

- पूरा फॉर्म भरने के बाद Browse option से सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करें |
- "Upload all Documents" पर क्लिक करें|

❖ **पटवारियों द्वारा क्रय किये लैपटॉप के बिल का भुगतान:**

- आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन के उपरांत भुगतान कर दिया जाएगा|
- पटवारी अपना Signed Self Declaration form, क्रय इनवॉइस (Paid by me) की मूल प्रति, मूल इन्शुरन्स पालिसी एवं गारंटी कार्ड ऑनलाइन upload करने पश्चात् क्रय इनवॉइस (Paid by me) की मूल प्रति, इन्शुरन्स पालिसी (Premium invoice) एवं गारंटी कार्ड की True Copy (attested by me) करके अविलम्ब अपने जिले के अधीक्षक, भू- अभिलेख कार्यालय में जमा करेंगे |
- भविष्य में सपोर्ट की आवश्यकता पड़ने की दृष्टि से सभी पटवारी गारंटी कार्ड एवं मूल बिल अपने पास ही रखेंगे|
- बिल का भुगतान पटवारियों के वेतन खाते में किया जाएगा |

209438/2021/CL/CMO

• लैपटॉप का ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: तकनीकी विनिर्देश (Specification)

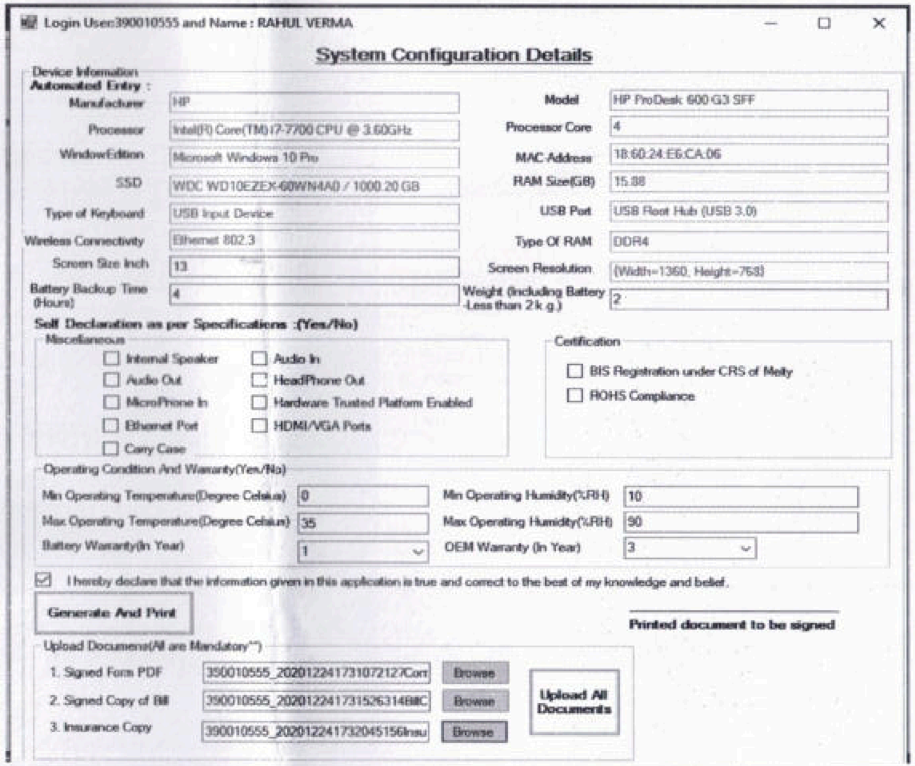

- पूरा फॉर्म भरने के बाद Browse option से सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड करें |
- “Upload all Documents” पर क्लिक करें|

209438/2021/CL/CMO

• लैपटॉप का ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: तकनीकी विनिर्देश (Specification)

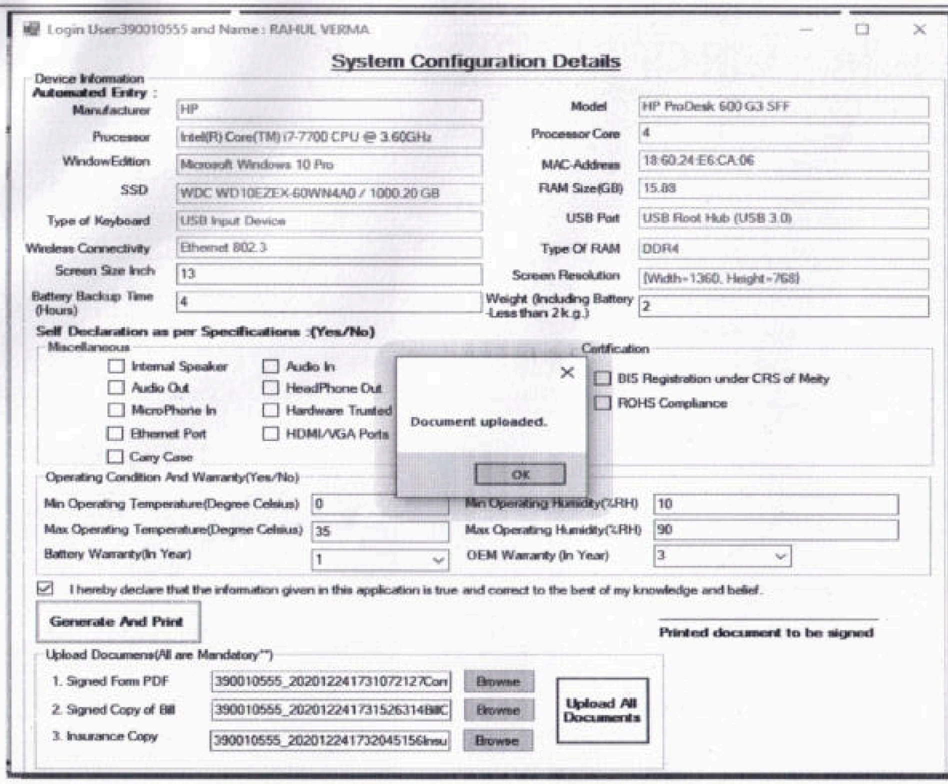

- "Upload all Documents" पर क्लिक करने के उपरान्त " Documents uploaded" का मैसेज दिखाई देगा|

लैपटॉप की ऑनलाइन ऑटो वेरिफिकेशन: तकनीकी विनिर्देश (Specification)

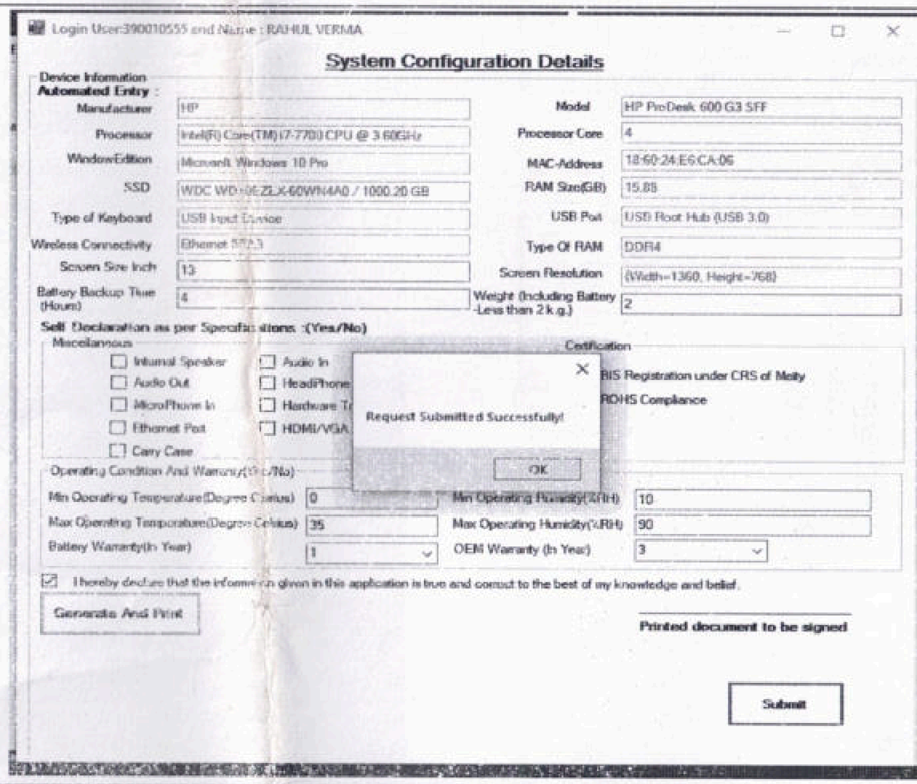

- "Submit" पर क्लिक करें
- "Request submitted successfully" दिखाई देने पर मान लें कि आपने specification जमा कर दिया है।
- इसी के साथ लैपटॉप के ऑनलाइन वेरफिकेशन की प्रक्रिया पटवारी ओर से समाप्त होती है।

कार्यालय आयुक्त भू-अभिलेख एवं बन्दोबस्त, मध्य प्रदेश

क्रमांक: 13/2021/CLR/ भण्डार- 7/2021 ग्वालियर, दिनांक 07/01/2021

प्रति,

अधीक्षक भू अभिलेख,

सभी जिले, मध्य प्रदेश

विषय- प्रदेश में राजस्व विभाग के अंतर्गत कार्यरत सभी पटवारियों को प्रदाय किये जा रहे लैपटॉप के बीमा के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ- राजस्व विभाग द्वारा पटवारी लैपटॉप योजना के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में जारी निर्देश दिनांक 2025/भंडार/2020 दिनांक 13/11/20 एवं 17417/ भंडार / दिनांक 02/01/21 |

विषयान्तर्गत लेख है कि राजस्व विभाग द्वारा प्रदेश में कार्यरत पटवारियों की कार्यक्षमता वृद्धि को द्रष्टिगत रखते हुए पटवारियों को लैपटॉप प्रदाय करने हेतु निर्णय लिया गया है|

उक्त निर्णय के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा उक्तानुसार समय-समय पर कार्यपालक निर्देश जारी किये गए है| कतिपय पटवारियों द्वारा लैपटॉप क्रय करते समय बीमा कराने के नियम का पालन कराने में होने वाली कठिनाइयों से अवगत कराया गया है | उक्त सम्बन्ध में आयुक्त कार्यालय द्वारा विभिन्न बीमा कंपनियों जैसे यूनाइटेड इंडिया, न्यू इंडियाउरांस एसुरन्स आदि से चर्चा की गयी है| चर्चा में ज्ञात हुआ है की प्रदेश में कार्यरत सभी बीमा कंपनियों द्वारा कंप्यूटर /लैपटॉप के बीमा के सम्बन्ध में बीमा किया जा रहा है| बीमा पालिसी में सामान्यतः Comprehensive Policy या All Risk Policy के नाम से उपलब्ध है, जिसमें मुख्यतः चोरी, बाढ़, आगजनी, दुर्घटना आदि के विरुद्ध सुरक्षा प्राप्त होती है | इस प्रकार से लैपटॉप की वित्तीय सुरक्षा हेतु चोरी, बाढ़, आगजनी, दुर्घटना जैसी जोखिम के विरुद्ध बीमा लिया जाना पर्याप्त होगा| चर्चा में इन कंपनियों द्वारा जानकारी दी गयी है की इस प्रकार की बीमा पालिसी सामान्यतः रु. 600 से 1000 प्रति वर्ष में उपलब्ध हो जाती है|

Web GIS Cell
8/1/21

(यूनाइटेड इंडिया इन्सुरांस से प्राप्त पत्र की प्रति सन्दर्भ हेतु संलग्न है)।

अतः इस सम्बन्ध में चयनित पटवारियों को लैपटॉप क्रय करते समय बीमा पालिसी के चयन में विभिन्न उपलब्ध विकल्पों के सम्बन्ध में यथोचित मार्गदर्शन प्रदान करें।

Signature valid
Digitally signed by Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil
Date: 2021.01.07 17:36:01 IST

(ज्ञानेश्वर बी. पाटील)

आयुक्त
कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख
मध्यप्रदेश

Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil, CLR(DBP), COMMISSIONER LAND RECORD
Dnyaneshwar Bhalchandra. Patil
Secretary
COMMISSIONER LAND RECORD
COMMISSIONER
dbpatil@nic.in
07/01/2021

/2021/CLR-Comp

युनाइटेड इंडिया इंश्योरेन्स कंपनी लिमिटेड
United India Insurance Co. Ltd.
Regd. & Head Office : 24, Whites Road, Chennai - 600 014

UNITED INDIA PLATINUM

United India insurance co. ltd. Divisional office Centre Point complex, Phool bagh Gwalior	THE COMMISSIONER LAND RECORDS MOTI MAHAL, GWALIOR
	Dated :- 05/01/2021

Sub:- <u>ALL RISK POLICY FOR LAP TOPS OF YOUR EMPLOYEES</u>

Res. sir,

As per discussion in the matter we are sending you all the required details for insurance of lap tops with various employees of land records department on individual capacity.

For lap tops which will be in use of various employees we offer our ALL RISK POLICY FOR SUM INSURED OF RS. 50000/- PER LAP TOP THE PREMIUM WILL BE RS. 590/- P.A. WITH GST.
The policy period will be for 01 year only .
We required the details of invoice of lap top as well as the details of employee who will use the lap top. As name / employee no. / address /.
Since the policy will be issued on individual basis hence we recommend the name of our advisor sh. Jugal shrivastava 98263- 3416 for attending all the employees & will extend their services & help for issuing the policy & service related afterwards.

The coverage & terms & condition of policy has already send.

(S.N. Tiwari)
Sr. div. Manager

Scanned with CamScanner